उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग–4
संख्या–951(i)/सत्तर–4–2022
लखनऊः दिनांकः 24 जून, 2022

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों के शिक्षकों को शोध कार्यों हेतु शासनादेश संख्या–1604/सत्तर–4–2020–1268/2018, दिनांक 15.12.2020 द्वारा रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के संचालन हेतु विभागीय दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा–निर्देशों के बिन्दु–3 ख के उपबिन्दु–2 में लघु शोध परियोजना के लिए निर्धारित पात्रता 10 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्चस्तरीय जर्नल्स में कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित हों, धारित न करने वाले शिक्षक शोध कार्यों के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। अतः सम्यक विचारोपरांत उक्त शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश के बिन्दु संख्या–3–ख के उपबिन्दु–2 को निम्नवत संशोधित किया जाता हैः–

वर्तमान व्यवस्था		संशोधित व्यवस्था	
3–ख–2	लघु परियोजना के लिए 10 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्च स्तरीय जर्नल्स में कम से कम 10 शोध पत्र प्रकाशित हो।	3–ख–2	लघु शोध परियोजना के लिए 05 वर्ष का शोध अनुभव एवं उच्च स्तरीय जर्नल्स में कम से कम 05 शोध पत्र प्रकाशित हो।

2– शासनादेश दिनांक 15.12.2020 द्वारा निर्गत रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट योजना के दिशा–निर्देशों को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

मनोज कुमार
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छठा तल इन्दिरा भवन लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

Approve / P/c website for wide circulation

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।